

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु। ।।।०।  
विज्ञाप्ति

जयपुर, दिनांक: २१.५.१८

माननीय राजस्थान न्यायालय के निर्णय रिट पीटिशन नं. 8338 दिनांक 20.04.2018 की अनुपालना में निम्नलिखित अधिसूचित मार्ग पर लोक परिवहन सेवा परमिट धारक के स्टैज कैरिज वाहन के अनुज्ञापत्र में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (3) प्रकारान्तर हेतु प्राप्त आवेदन को निस्तारण किया जाना है, अन्य पात्र वाहन स्वामियों से भी इस विज्ञाप्ति के जारी करने की तिथि से दिनांक ३०-०५-२०१८ तक प्रकारान्तर हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम संख्या	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	वाहनों संख्या की	एकल फेरों की संख्या
1	334	भालेरी-तारानगर	3	24

आवेदन संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष, कार्यालय समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित एवं अन्य सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत लूग होंगी। शर्तों का अवलोकन विभागीय वेब साईट transport.rajasthan.gov.in पर RPTS Tab किया जा सकता है।

(अ.सा. यादव)  
सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु। ।।।०२-८८  
प्रतिलिपि :-

जयपुर, दिनांक:-

२१.५.१८

- श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने वावत।
- सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार बीकानेर, सीकर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने वावत।
- मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
- रक्षित पत्रावली।

(अ.सा. यादव)  
सचिव  
राज्य परिवहन  
प्राधिकार